




NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No :99/NCRES/19

Date : 03.04.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय :- नये यूनीफाईड MOU के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारियों को इलाज हेतु अन्य रेलवे से सम्बद्ध प्राइवेट हास्पिटलो मे सीधे रिफर करना।

संदर्भ :- (i) आपका पत्र संख्या मेड/एन.सी.आर.ई.एस./विविध दिनांक 28.03.2019
(ii) NCRES का पत्र संख्या 91/NCRES/19 दिनांक 25.03.2019
(iii) NCRES का पत्र संख्या 92/NCRES/19 दिनांक 25.03.2019

महोदय,

NCRES के पत्र संख्या 91/NCRES/19 दिनांक 25.03.2019 एवं पत्र संख्या 92/NCRES/19 दिनांक 25.03.2019 के सम्बन्ध में दिये गये प्रधान कार्यालय के जवाब दिनांक 28.03.2019 से NCRES सहमत नहीं है।

कृपया रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 23.12.2016 (संलग्न) के तृतीय पैरा के अन्तिम लाइन "निम्न" पर ध्यान दे।


"Some salient features of the MoU are as follows:

"It covers all the beneficiaries, Serving Employees, retired employees & their family members who may be required to be referred to these Hospitals."

अर्थात् उक्त Modified MOU सभी रिटायर्ड एवं कार्यरत रेलकर्मचारी एवं उनके परिवार के लिये लागू होगा लेकिन आपके कार्यालय द्वारा दिये गये जवाब दिनांक 28.03.2019 में कहा गया है कि M/S UTIITSL की वेबसाइट के माध्यम से सीधे रिफर की योजना अभी केवल RELHS कर्मचारियों के लिये है, इस तरह के जवाब से NCRES सहमत नहीं है।

अतः NCRES पुनः मांग करती है कि UTIITSL की वेबसाइट में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे को ईमेल के माध्यम से सम्बद्ध करे ताकि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारियों को भी अन्य जोनो से सम्बद्ध प्राइवेट हास्पिटलों में सीधे रिफर किया जा सके। इस सम्बद्ध में यदि और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो NCRES से वार्ता की तिथि निश्चित करने का कष्ट करे।

संलग्न:- रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 23.12.2016


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री